भारत के किसानों के लिए
सुरक्षित एवं लाभप्रद फसल भंडारण

फसलों के सुरक्षित भण्डारण के लिए अपनी फसलों को डब्लूडीआरए पंजीकृत गोदामों में संग्रहित करें, प्रतिभूत ऋण सुविधा भी लाभ उठाएं

वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) सुरक्षित और संरक्षित भंडारण सेवाओं के लिए कुशल और वैज्ञानिक गोदाम सुनिश्चित करने को पूर्णतया प्रतिबद्ध है। डब्लूडीआरए
उन्ही गोदामों को पंजीकृत करता है जो न्यूनतम बुनियादी ढांचे को पूरा करते हों और निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हों ।

- डब्ल्यूडीआरए अब देश के किसानों को फसलों के भण्डारण के लिए पूर्णतया सुसज्जित, सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भण्डारण सुविधाएं प्रदान कर रहा है।
- भांडागारों को विभिन्न जोखिमों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने हेतु भण्डारित माल के अनिवार्य बीमा की व्यवस्था व धोखा धड़ी, हेर–फेर अथवा विकृति से मुक्त पंजीकृत भांडागारों द्वारा इलेक्ट्रोनिक नेगोशिएबल वेरहाउस रसीद (ईएनडबल्यूआर) जारी करने की व्यवस्था।
- किसानों / जमकर्ताओं द्वाराईएनडबल्यूआर का प्रयोग कर बैंको से प्रतिभूति ऋण प्राप्त करने की सुविधा।
- कृषि वस्तुओं के वैज्ञानिक भण्डारण पर किसानों के लिए निः शुल्क प्रशिक्षण।
- सभी पंजीकृत भांडागार डबल्यूडीआरए द्वारा विनियमित।

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण

चौथी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

REGISTER YOUR WAREHOUSE WITH WDRA ENSURE TRUST, SAFETY, AND HIGHER PROFITS!

Advantages of Registration of Warehouses with WDRA

- The warehouse will be eligible to issue e-NWRs
- WDRA regulation helps to ensure scientific storage facilities
- Banks can pledge finance on the e-NWRs
- Training on warehouse management, assaying of goods etc.
- May be linked to e-NAM for exploring greater option for trading of farmer produce deposited in the society Free
- e-NWR requires to enter quality/ grade details - promotes grading and standardization in the warehouse
- Periodic inspections conducted by WDRA helps Warehouses to ensure quantity/quality of stored produce

Steps to Ease Registration of Warehouses

- Apply online via the WDRA website; only soft copies are needed.
- Warehouses apply directly to WDRA, bypassing accreditation.
- WDRA handles physical inspection through its staff or empaneled agencies.
- Nine empaneled agencies conduct inspections per eligibility criteria.
- Initial registration is valid for five years.
- SOPs and Know Your Depositor processes are well-defined in new rules.

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

Warehousing Development and Regulatory Authority
Department of Food and Public Distribution, Government of India

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

ई-किसान उपज निधि (ई-किउनि)
e-Kisan Upaj Nidhi (e-KUN)

बैंक ऋण लेकर उपज की संकट ग्रस्त बिक्री से मुक्ति पाएँ

थोडा सा सब्र
थोडी सी समझ
करे हमें समृद्ध।

समृद्धि के 7 कदम

1. उपज तुरंत बेचने के बजाय WDRA पंजीकृत गोदाम में जमा करायें।
2. गोदाम से eNWR प्राप्त करें।
3. ई-किउनि (eKUN) पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें।
4. पोर्टल पर eNWR सूचना भरकर भंडारित उपज पर ऋण हेतु बैंकों से आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करें।
5. सबसे बढ़िया प्रस्ताव चुनकर मनपसंद बैंक से ऋण लें।
6. बाजार में उपज का अच्छा दाम मिलने पर उसे बेचें और बैंक ऋण वापस करें।
7. अच्छे दाम से प्राप्त धन से मुनाफा कमायें।

5500+
पंजीकृत गोदाम

अधिक जानकारी के लिए फोन: नं. 011-49092987, 44789495
या https://wdra.gov.in/digital/

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण

डिजिटल गेटवे

डिजिटल गेटवे: - यह भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्लूडीआरए) द्वारा पंजीकृत भांडागारों में स्टॉक रखने वाले किसानों को बैंकों से फसल के बाद ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह किसानों के लिए फसल कटाई के बाद गिरवी वित्तपोषण को बढ़ावा देता है जिससे उन्हें पर्याप्त नकदी मिलने मे मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त उन्हें अपनी उपज की बिक्री को अधिक उपयुक्त समय पर बेचने से बेहतर कीमत मिल सकती है। इस प्रकार मजबूरन बिक्री को कम किया जा सकता है।

डिजिटल गेटवे डब्लूडीआरए द्वारा विनियमित इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्यभांडागारों रसीदों (ई-एनडब्ल्यूआर) के विरुद्ध ऋण देने की सुविधा प्रदान करता है। यह डेटा के निर्बाध हस्तांतरण के माध्यम से गिरवी ऋण के लिए टर्नअराउंड समय को कम करता है। डिजिटल गेटवे में शामिल बैंक किसानों को ब्याज दर, ऋण राशि आदि के मामले में विकल्प प्रदान करेंगे। इस प्रकार किसान उपलब्ध विकल्पों मे से सर्वोत्तम विकल्प चुन सकते हैं।

किसान को सबसे पहले डब्लूडीआरए द्वारा अधिकृत रिपोजिटरीद्वारा जारी किए गए अपने रिपोजिटरीखाते के विवरण के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। गेटवे यूआईडीएआई, सीबीडीटी, रिपोजिटरी आदि के इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकीकृत डेटा बेस के माध्यम से इन विवरणों को स्वचालित रूप से प्रमाणित करेगा। गेटवे का 'रूलइंजन' तब किसानों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का विवरण प्रदान करता है। एक बार जब किसान बैंक का प्रस्ताव चुन लेता है, तो गेटवे उचित एवं सम्पूर्ण कार्रवाई के लिए संबंधित बैंक को जानकारी भेजता है। 'रूल इंजन' बैंक को ऋण संसाधित करने और स्वीकृत करने में सक्षम बनाने के लिए किसान क्रेडिट विवरण जैसे सिबिल स्कोर, केसीसी खाता इत्यादि की भी जांच करता है। बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकृति पत्र जारी करने के बाद किसान दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए बैंक में जा सकता है और धन राशि का भुगतान प्राप्त कर सकता है।

डिजिटल गेटवे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्लूडीआरए) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोगात्मक प्रयासों का फल है। डब्लूडीआरए ने इस गेटवे को भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी वित्तीय सेवाओं को एक ही इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए वित्तीय सेवा विभाग द्वारा गठित कार्य-दलके माध्यम से विकसित किया है। डब्लूडीआरए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक विनियामक निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में परक्राम्यभांडागार रसीद (एनडब्ल्यूआर) प्रणाली को लागू करना है। यह प्राधिकरण किसानों को अपनी उपज को वैज्ञानिक भांडागारों में संग्रहीत करने और अपने एनडब्ल्यूआर के खिलाफ बैंकों से ऋण लेने में मदद करता है। नाबार्ड ने कृषि वित्त में अपने व्यापक अनुभव के आधार पर महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान कर इस गेटवे के विकास को सुविधाजनक बनाया है। नाबार्ड देश भर में तैनात अपने जिला विकास प्रबंधकों (डीडीएम) के माध्यम से डिजिटल गेटवे को बढ़ावा देगा।

Digital Gateway

Digital Gateway: -an online platform to facilitate the farmers with stocks in WDRA registered warehouses to obtain post-harvest loans from banks. The gateway will boost post-harvest pledge financing for farmers. This will provide them sufficient liquidity and help them defer sale of their harvested produce to a more opportune time when it could fetch better prices. Thus, distress sale can be reduced.

Digital Gateway facilitates loaning against electronic Negotiable Warehouse Receipts (e-NWRs) regulated by WDRA. It will reduce the turnaround time for pledge loans through seamless transfer of data. Banks onboarded on the digital gateway will provide a choice to farmers in terms of rate of interest, loan amount, etc. Farmer can choose the best option available.

The farmer will first have to register himself with his repository account details issued to him by the repository authorized by WDRA. The gateway will automatically authenticate these details through electronically integrated data bases of UIDAI, CBDT, Repository, etc. The Rule engine of the gateway then provides the farmer details of loans offered by banks. Once the farmer chooses a bank's offer, the gateway sends the information to the respective bank for due diligence. The Rule engine also examines the farmer credit details like CIBIL score, KCC account, etc. to enable the bank to process and sanction the loan. After the bank issues the sanction letter electronically, the farmer can go to the bank to sign the document and get the amount disbursed.

Digital Gateway is a fruit of collaborative efforts of Department of Food & Public Distribution, Department of Financial Services (DFS), Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) and National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). WDRA has got this gateway developed through the Task Force set up by the of Department of Financial Services for putting all financial services offered by GoI on a single electronic platform.WDRA is a regulatory body established by the Government of India with prime objective of implementing Negotiable Warehouse Receipt (NWR) System in the country, which would help farmers to store their produce in scientific storage godowns and to seek loan from banks against their NWRs. NABARD has facilitated the development of this gateway by providing critical inputs based on their wide experience in agriculture finance.NABARD willpromote the digital gateway through its District Development Managers (DDMs) posted across the country.

Schematic Representation of Work Flow

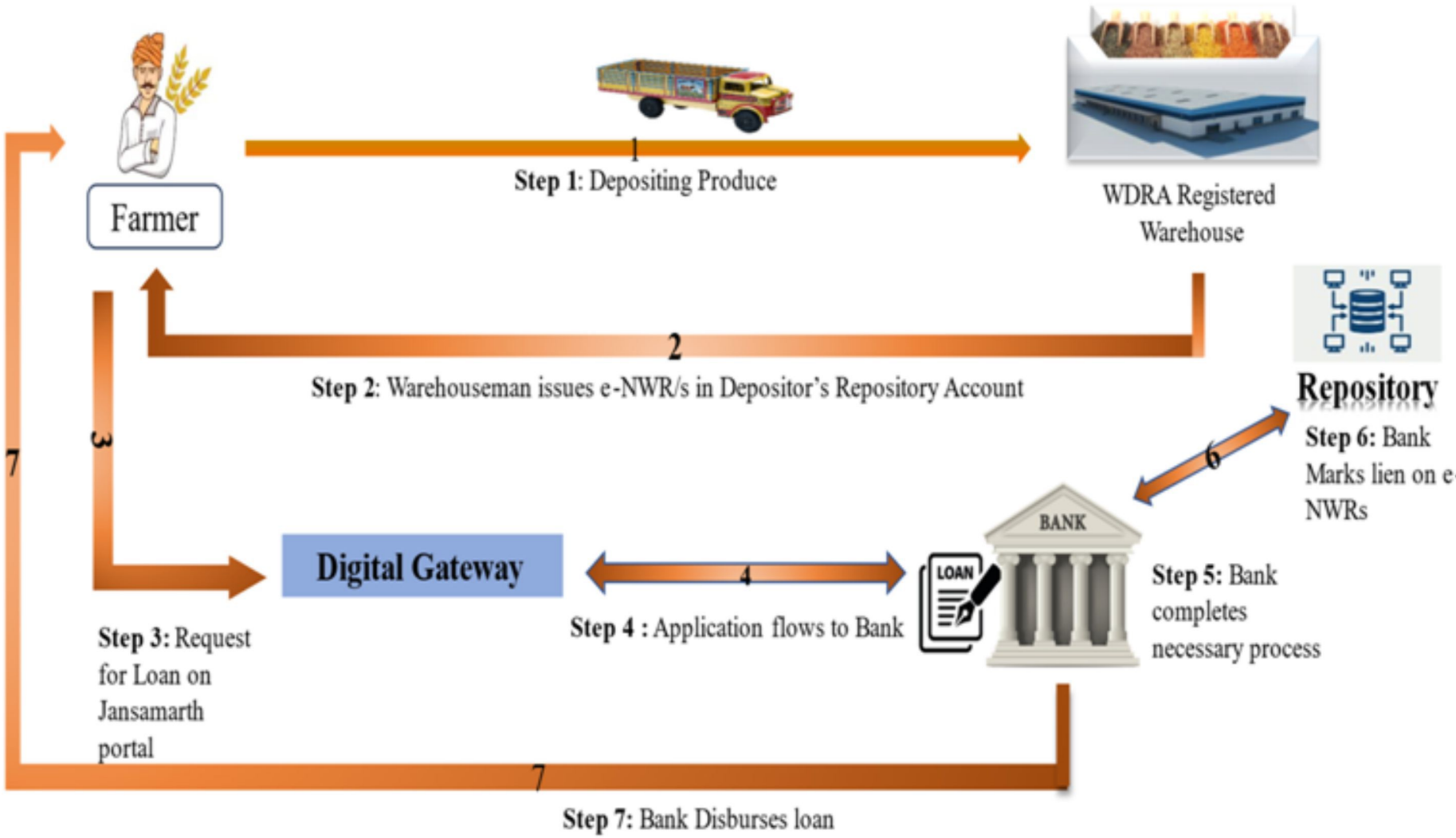

Credit Guarantee Scheme

for e-NWR based Pledge Financing (CGS-NPF)

Guarantee coverage for loans up to Rs.75 lakhs extended to farmers

Interest rate capped to maximum 3% p.a. over and above *MCLR of Bank

*Marginal cost of fund-based lending rate

Access Funds with Ease

No more Distress Sale of Your Crop

Guarantee coverage for loans up to Rs.200 Lakhs extended to MSMEs/FPOs/Traders

No Collateral other than Goods mentioned in e-NWR required

Empowering Farmers. Strengthening Agriculture.

Government of India
Department of Food & Public Distribution
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

Government of India
Department of Food & Public Distribution
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

Frequently Asked Questions (FAQs)

Credit Guarantee scheme for e-NWR based pledge financing (CGS-NPF)

1. What is CGS-NPF?

The Credit Guarantee Scheme for e-NWR based pledge financing (CGS-NPF) is a scheme launched by the Government of India to provide guarantee against default on pledge loans availed by eligible borrowers from eligible lending institutions against electronic Negotiable Warehouse Receipts (e-NWRs) issued by registered warehouses against agricultural and horticultural commodities.

The Scheme is housed in the Credit Guarantee Scheme Trust for e-NWR based pledge financing, which is managed by National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC), a wholly owned company of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

2. What is Pledge Finance?

"Pledge Finance", for the purpose of this scheme, means the credit facility extended by Eligible Lending Institutions (ELIs) against the e-NWRs with a valid lien.

3. Who are the Eligible Borrowers under the Scheme?

Eligible borrowers are Farmers, Farmers Producer Organizations (FPOs), other farmer cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

4. Who are the Eligible Lending Institutions (ELIs) under the scheme?

ELIs are all scheduled banks and cooperative banks who have entered into an agreement with/submitted undertaking to the Trust/ Trustee for availing support under the Scheme. ELI also includes such other institutions, which the Trust/GoI may agree to include in future for support under the Scheme.

5. How to become an ELI under this scheme?

The interested lending institutions may register under the said scheme by submitting a signed and stamped undertaking (format available on www.ncgtc.in) along with a copy of Board Resolution. Upon successful registration, login credentials of the ELI shall be created whereafter it can apply for guarantee cover on the NCGTC's portal.

6. What is the maximum amount of guarantee available under the Scheme?

Maximum guarantee amount for loans given for agricultural purposes is Rs. 75 lakhs and for Non-agricultural purposes the same is Rs. 200 Lakhs.

7. How is the Scheme beneficial for small and marginal farmers, SC/ST/PwD and women farmers?

Under the Scheme, small and marginal farmers, SC/ST/PwD and women farmers can store their produce in warehouses registered with the Warehousing Development Regulatory Authority (WDRA) and avail loan against e-NWRs. They can sell the produce in the market at the right time to fetch remunerative prices.

Besides, an interest rate cap has also been stipulated on loans covered under the Scheme to make it further beneficial for the borrowers under the Scheme. GoI extended Interest subvention scheme to small and marginal farmers having KCCaccount to avail loans against e-NWRs. At present, under the interest subvention scheme, the rate of interest is 7% p.a.

8. Why would the ELIs extend pledge loans to small and marginal farmers and SC/ST/PwD and women farmers?

The Scheme has been made to provide confidence to the ELIs to extend loans to small and marginal farmers and SC/ST/PwD/Women farmers with a higher guarantee coverage and a lower guarantee fee as compared to other borrowers. Details of guarantee cover and guarantee fee under the Scheme is given below :

Guarantee Cover under the Scheme

Loan Limit	Small and Marginal Farmer (SMF)/ Women/SC/ST/PwD Farmers	Other Borrowers/Beneficiaries
Up to Rs. 3 Lakhs	85% of Amount in Default	75% of Amount in Default
Above Rs. 3 Lakhs and up to Rs. 75 Lakhs	80% of Amount in Default	
Above Rs. 75 Lakhs and up to Rs. 2 Crores	NA	

Guarantee Fee under the Scheme

All Farmers	Non farmer Borrowers
0.40% per annum	1% per annum

9. Who will issue e-NWRs?

Warehouses registered with the WDRA can issue e-NWRs against goods stored in their warehouses through NERL & CCRL.

10. What is the Interest rate capping under the scheme?

The Interest Rate charged by the ELIs for loans against e-NWRs can be up to 3% over and above the Marginal Cost Based Lending Rate (MCLR) declared by ELI for a six-month tenor. As regards cooperative banks where MCLR is not applicable, the rate of interest is capped at 1% below the average lending rate to the targeted segment.

11. When is the Guarantee Fee Payable?

Guarantee Fee shall be paid to the Trust by the ELI latest by the 7th day of each month for the loan amount outstanding on the closing day of the previous month.

12. I am an ELI registered with NCGTC under this Scheme. Some recovery has been made subsequent to settlement of 1st claim. Please advise how much of this amount has to be passed to the Trust?

In case of any recovery made by the ELI from the borrower subsequent to release of 1 st /2 nd claim by the Trust, proportionate share of Trust in such recoveries (after adjustment of the legal costs incurred by ELI for recovery of the amount) shall be passed on by ELI to the Trust and details shall be entered in the portal at the appropriate place. Such amounts shall be passed on to the Trust on Quarterly basis within 30 days of the end of the Quarter in which the recoveries were made.

If any amount due to the Trust remains unpaid beyond the stipulated period, penal interest shall be payable to the Trust by the ELI at the rate of 10% p.a. or such rate as may be specified by the GoI from time to time for the period of delay.

13. I'm a Farmer/FPO/Trader/MSME and want to store my farm produce in a registered warehouse, but do not have any additional collateral security to offer for pledge loan. Am I an eligible borrower under this Scheme?

Yes, Farmer/FPO/Trader/MSME are eligible borrowers for under this Scheme. They may avail pledge loan against e-NWR for goods/produce stored in a registered warehouses without submitting additional collateral.

For more details about the scheme, please call

Kisan Call Center 1800-180-1551 | **WDRA Call Center 011-49092987, 44789495**

भारत सरकार
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

ई- एनडब्ल्यूआर आधारित गिरवी वित्तपोषण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस-एनपीएफ)

1. सीजीएस-एनपीएफ क्या है?

इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) आधारित गिरवी वित्तपोषण (सीजीएस-एनपीएफ) क्रेडिट गारंटी योजना, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह कृषि और बागवानी वस्तुओं के विरुद्ध पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागारों रसीदों पर पात्र ऋणदाता संस्थानों से पात्र उधारकर्ताओं द्वारा लिए गए गिरवी ऋणों पर चूक के विरुद्ध गारंटी प्रदान करती है।

इस योजना को ई-एनडब्ल्यूआर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम ट्रस्ट नामक ट्रस्ट के अन्तर्गत रखा गया है। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रा लय, भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।

2. गिरवी वित्तपोषण (प्लेज फाइनेंसिंग) क्या है?

इस योजना के प्रयोजन के लिए "प्लेज फाइनेंस" का अर्थ वैध लियन के साथ ई-परक्राम्य भांडागार रसीदों के विरुद्ध पात्र ऋणदाता संस्थानों (ईएलआई) द्वारा दी गई क्रेडिट सुविधा है।

3. योजना के तहत पात्र उधारकर्ता कौन हैं?

पात्र उधारकर्ता किसान, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), अन्य किसान सहकारी समितियां और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं।

4. योजना के तहत पात्र ऋण देने वाले संस्थान (ईएलआई) कौन हैं?

पात्र ऋणदात्री संस्थाएं (ईएलआई) वे सभी अनुसूचित बैंक और सहकारी बैंक है जिन्होंने योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए ट्रस्ट / ट्रस्टियों के साथ अनुबंध किया है/वचनबद्धता प्रस्तुत की है। इसमें ऐसे अन्य संस्थान भी शामिल हो सकेंगे जिन्हें ट्रस्ट/भारत सरकार योजना के तहत समर्थन के लिए भविष्य में शामिल करना चाहेगी।

5. इस योजना के तहत किसीपात्र ऋण देने वाली संस्था (ईएलआई) कैसे बन सकती है?

सभी पात्र ऋणदाता संस्थान (ईएलआई) अपने बोर्ड संकल्प की प्रति के साथ एक हस्ताक्षरित और मुद्रांकित अंडरटेकिंग (एनसीजीटीसी की वेबसाइट यानी www.ncgtc.in पर उपलब्ध प्रारूप) प्रस्तुत करके उक्त योजना के तहत पंजीकरण कर सकते हैं। ईएलआई के सफल पंजीकरण पर, ईएलआई के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाए जाएंगे जिसके बाद वह एनसीजीटीसी के पोर्टल पर उसके द्वारा दिए गए ऋणों पर गारंटी कवर के लिए आवेदन कर सकता है।

6. योजना के तहत सहायता के लिए पात्र ऋण की अधिकतम राशि क्या है?

इस योजना के तहत कृषि उद्देश्यो के लिए अधिकतम ऋण राशि 75 लाख रुपये तथा गैर कृषि उद्देश्यों के लिए 200 लाख रूपये है।

7. यह योजना छोटे और सीमांत किसानों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांगों और महिला किसानों के लिए किस प्रकार लाभदायक है?

इस स्कीम के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसान तथा अन्य किसान भांडागारण विकास विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत भांडागारों में अपने उत्पाद का भंडारण कर सकते हैं और इसके एवज में प्राप्त ई-एनडबल्यूआर के विरुद्ध ऋण प्राप्त कर सकते हैं। सही समय पर बाजार में अपनी उपज बेच कर अच्छी कीमत ले सकते हैं।

इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है ताकि योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं के लिए इसे और अधिक लाभकारी बनाया जा सके। भारत सरकार ने केसीसी खाते वाले छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए ई-एनडबल्यूआर के विरुद्ध ऋण का लाभ उठाने हेतु ब्याज सहायता योजना को विस्तार किया हैं। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत ब्याज दर 7% वार्षिक हैं।

8. ऋणदाता छोटे और सीमांत किसानों और एससी/एसटी/ विकलांग और महिला किसानों को गिरवी ऋण क्यों देंगे?

इस स्कीम को छोटे और सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगजन और महिला किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए पात्र ऋणदात्री संस्थानों को अधिक गारंटी कवरेज और अन्य उधारकर्ताओं की तुलना में कम गारंटी शुल्क के साथ विश्वास प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। योजना के तहत गारंटी कवर और गारंटी शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है:

योजना के तहत गारंटी कवर

ऋण सीमा	छोटे और सीमांत किसान (एसएमएफ)/महिला/एससी/एसटी/पी डब्ल्यूडी किसान	अन्य उधारकर्ता/लाभार्थी
रु. 3 लाख तक	डिफ़ॉल्ट राशि का 85%	डिफ़ॉल्ट राशि का 75%
रु. 3 लाख से अधिक और रु. 75 लाख तक	डिफ़ॉल्ट राशि का 80%	
रु. 75 लाख से अधिक और रु. 2 करोड़ तक	लागू नहीं	

योजना के तहत गारंटी शुल्क

सभी किसान	गैर किसान उधारकर्ता
0.40% प्रति वर्ष	1% प्रति वर्ष

9. ई-एनडब्ल्यूआर कौन जारी करेगा?

भांडागारण विकास और नियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू.डी.आर.ए) अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी भांडागार एन ई आर एल और सी सी आर एल द्वारा अपने यहाँ भंडारित स्टॉक के विरुद्ध ई-एनडब्ल्यूआर जारी करेंगे।

10. योजना के तहत ब्याज दर की सीमा क्या है?

पात्र ऋणदाता संस्थानों द्वारा सीजीएस-एनपीएफ के तहत कवर किए जाने वाले ई-एनडब्ल्यूआर पर ऋण के लिए ली जाने वाली ब्याज दर ईएलआई द्वारा छह महीने की अवधि के लिए घोषित सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) के ऊपर अधिकतम 3% प्रति वर्ष तक होगी। जहां तक सहकारी बैंकों का संबंध है जहां एमसीएलआर लागू नहीं है, वहां ब्याज दर लक्षित समूह को औसत उधार दर से 1% कम पर सीमित की गई है।

11. गारंटी शुल्क कब देय है?

पिछले महीने के अंतिम दिन बकाया ऋण राशि के लिए ईएलआई द्वारा ट्रस्ट को गारंटी शुल्क का भुगतान प्रत्येक महीने के 7 वें दिन तक किया जाएगा।

12. मैं इस योजना के तहत एनसीजीटीसी के साथ पंजीकृत ईएलआई हूं। पहले दावे के निपटान के बाद कुछ वसूली की गई है। कृपया बताएं कि इस राशि में से कितनी राशि ट्रस्ट को दी जानी है?

ट्रस्ट द्वारा पहला/दूसरा दावा जारी करने के बाद उधारकर्ता से ईएलआई द्वारा की गई किसी वसूली के मामले में, ऐसी वसूलियों में ट्रस्ट का आनुपातिक हिस्सा (राशि की वसूली के लिए ईएलआई द्वारा किए गए कानूनी लागतों के समायोजन के बाद) ईएलआई द्वारा ट्रस्ट को दिया जाएगा और विवरण उचित स्थान पर पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। ऐसी राशियां उस तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर तिमाही आधार पर ट्रस्ट को अंतरित की जाएंगी जिसमें वसूली की गई थी।

यदि ट्रस्ट को देय कोई राशि निर्धारित अवधि के बाद भी भुगतान नहीं की जाती है, तो ऋणदात्री संस्था द्वारा ट्रस्ट को 10% प्रति वर्ष की दर से या देरी की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा समय- समय पर निर्दिष्ट दर पर दंडात्मक ब्याज देय होगा।

13. मैं एक किसान/किसान उत्पादक संगठन (एफ़पीओ)/ व्यापारी/ एमएसएमई हूँ और अपने उत्पाद की उपज को किसी पंजीकृत भांडागार में स्टोर करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं है। क्या मैं योजना के तहत गिरवी ऋण के लिए पात्र हूं?

जी हां, इस योजना के अंतर्गत किसान/किसान उत्पादक संगठन (एफ़पीओ)/ व्यापारी/ एमएसएमई पात्र उद्धार कर्ता हैं। पंजीकृत भांडागारों में भंडारित अपने माल/उत्पाद के लिए प्राप्त ई- एन.डब्ल्यू.आर के विरुद्ध अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना गिरवी ऋण ले सकते हैं।

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉल करें

किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 | डब्ल्यूडीआरए कॉल सेंटर 011-49092987, 44789495